

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर

// अधिसूचना //

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 01/08/2022

क्रमांक एफ 11-2/2011/16 :: - छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) के अंतर्गत जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 11-2/2011/16 (पार्ट), दिनांक 18.07.2019 की अनुसूची के सरल क्रमांक 02 में उल्लेखित सेवा "भगिनी प्रसूति सहायता योजना" के नाम में आंशिक संशोधन करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 3,4,5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, अधिसूचित करती है, अर्थात:-

अनुसूची

स. क्र.	कार्यालय/निकाय/अभिकरण का नाम	छ0ग0 लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 हेतु सेवाओं प्रदाय की जाती है	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
2.	छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल	मिनीमाता गृहतारी जतन योजना	30 कार्य दिवस	सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी	सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल	श्रमायुक्त/मुख्य निरीक्षक, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम, 1996

यह अधिसूचना उक्त योजना के अधिसूचना दिनांक 12.05.2022 से प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आशुतोष पाण्डेय)

उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

पृष्ठांकन क्र० एफ 11-2/2011/16 अटल नगर, नवा रायपुर दिनांक...01/08/2022...
प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्रीजी छ०ग० शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ०ग०)।
2. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष, छ०ग० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल (श्रम विभाग) ऑफिस कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, ब्लाक-A, एकात्म पथ सेक्टर-24, नवा रायपुर, अटल नगर (छ०ग०)।
3. निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ०ग०)।
4. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, द्वितीय तल, खण्ड-03 नवा रायपुर अटल नगर (छ०ग०)।
5. सचिव, छ०ग० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, ब्लाक-A, एकात्म पथ सेक्टर-24, नवा रायपुर, अटल नगर (छ०ग०)।
6. प्रभारी अधिकारी, छ०ग० असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल इन्द्रावती भवन, द्वितीय तल, खण्ड-03 नवा रायपुर, अटल नगर (छ०ग०)।
7. कल्याण आयुक्त, छ०ग० श्रम कल्याण मंडल, प्रवीण भवन 31/520, न्यू शांति नगर, रायपुर (छ०ग०)।
8. संचालक, संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ०ग०)।
9. संचालक, संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्द्रावती भवन, अटल नगर (छ०ग०)।
10. समस्त जिला कलेक्टर,(छ०ग०)।
11. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी कार्यालय
..... (छ०ग०)
12. समस्त उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय
.....(छ०ग०)।
13. संचालक, जनसंपर्क विभाग, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर उपरोक्त अधिसूचना जन सामान्य के सूचनार्थ समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
14. उपसंचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव (छ०ग०) की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किए जाने हेतु प्रेषित कर लेख है कि कृपया प्रकाशित राजपत्र की 50 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
15. लेखा शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर, (छ०ग०)।
16. एन०आई०सी० शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर (छ०ग०) की ओर तत्काल वेब साईट में अपलोड करने बाबत।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।
17. गार्ड फाईल।


25.08.22
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर

// अधिसूचना //

अटल नगर, रायपुर, दिनांक.....10.12.2020

क्रमांक एफ 11-2/2011/16 :- छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) के अंतर्गत जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 11-2/2011/16(पार्ट) दिनांक 18.07.2019 की अनुसूची के सरल क्र० 03 में उल्लेखित सेवा "विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता राशि भुगतान योजना" के नाम में आंशिक संशोधन करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 3,4,5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, अधिसूचित करती है, अर्थात :-

अनुसूची

स. क्र.	कार्यालय/निकाय/अभिकरण का नाम	छ0ग0 लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जाती है	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
3.	छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना	30 कार्य दिवस	सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी	सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल	श्रमायुक्त/मुख्य निरीक्षक, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम, 1998

यह अधिसूचना उक्त योजना के अधिसूचना दिनांक 09.06.2020 से प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(डॉ. रेणुका श्रीवास्तव)
उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

स्थापना/लेखा/उपकर/योजना/पंजीयन/समन्वय/भंडार/विधि
शिक्रयत/एनआईसी/आरटीआई/अपील/स्टेनो

11 DEC 2020
दिनांक.....

लेखाधिकारी/सचिव



1. विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्रीजी, छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला-रायपुर (छ0ग0)।
2. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल (श्रम विभाग) मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ0ग0)।
3. निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला-रायपुर (छ0ग0)।
4. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, द्वितीय तल, खण्ड-03 नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ0ग0)।
5. सचिव, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल ब्लॉक-A, एकात्म पथ सेक्टर-24, नवा रायपुर, अटल नगर जिला-रायपुर (छ0ग0)।
6. प्रभारी अधिकारी, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल इन्द्रावती भवन, द्वितीय तल, खण्ड-03 नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ0ग0)।
7. कल्याण आयुक्त, छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल, प्रवीण भवन 31/520, न्यू शांति नगर, रायपुर (छ0ग0)।
8. संचालक, संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ0ग0)।
9. संचालक, संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला-रायपुर (छ0ग0)।
10. समस्त जिला कलेक्टर,(छ0ग0)।
11. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी कार्यालय (छ0ग0)
12. समस्त उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय ... (छ0ग0)।
13. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर की ओर उपरोक्त अधिसूचना जन सामान्य के सूचनार्थ समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
14. उपसंचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव (छ0ग0) की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किए जाने हेतु प्रेषित कर लेख है कि कृपया प्रकाशित राजपत्र की 50 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
15. एन0आई0सी0 शाखा छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0) की ओर तत्काल वेबसाईट में अपलोड करने बाबत।
16. गार्ड फाईल।

उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर

// अधिसूचना //

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 18.07.19

क्रमांक एफ 11-2/2011/16(पार्ट) : छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) के अंतर्गत जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 11-2/2011/16 दिनांक 30.06.2017 को संशोधित करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

अनुसूची

स. क्र.	कार्यालय/निकाय/अभिकरण का नाम	छ0ग0 लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जाती है	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
1.	छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल	हितग्राहियों के पंजीयन	30 कार्य दिवस	श्रम निरीक्षक / उप श्रम निरीक्षक	सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी / सहायक श्रम पदाधिकारी	सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल
2.	छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल	भगिनी प्रसूति सहायता योजना	30 कार्य दिवस	सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी / सहायक श्रम पदाधिकारी	सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल	श्रमायुक्त / मुख्य निरीक्षक, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम, 1996

निरंतर.....2

3.	छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल	विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता राशि भुगतान योजना	30 कार्य दिवस	सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी	सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल	श्रमायुक्त/मुख्य निरीक्षक, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम, 1998
----	---	---	---------------	--	---	---

यह अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावशील होगी।

स्थापना/लेखा/उप	न/सम्बन्ध/भंडार
निधि/शिक्षा/एन.ए. 2/अति. जा. 3/प्रवर्तन/अपील	
पदाधिकारी/मंडल/सचिव/सचिव	

2/1/19

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

1/1/19
(पी.डी.ओ.पुरबिया)
उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग
नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 18.07.19

पृष्ठा 0 क्र 0 एफ 11-2/2011/16(पार्ट)

प्रतिलिपि :-

- विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्रीजी छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला-रायपुर (छ0ग0)।
निज सहायक, माननीय अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल (श्रम विभाग) मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ0ग0)।
- निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला-रायपुर (छ0ग0)।
- श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, द्वितीय तल, खण्ड-03, नवा रायपुर, अटल नगर जिला-रायपुर (छ0ग0)।
- सचिव, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल ब्लॉक-A, एकात्म पथ सेक्टर-24, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ0ग0)।
- प्रभारी अधिकारी, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल इन्द्रावती भवन, द्वितीय तल, खण्ड-03, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ0ग0)।
- कल्याण आयुक्त, छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल, प्रवीण भवन 31/520, न्यू शांति नगर, रायपुर (छ0ग0)।
- संचालक, संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला-रायपुर (छ0ग0)।
- संचालक, संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला-रायपुर (छ0ग0)।
- समस्त जिला कलेक्टर, (छ0ग0)।
- समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी कार्यालय (छ0ग0)।
- समस्त उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय (छ0ग0)।



Part up

13. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर उपरोक्त अधिसूचना जन सामान्य के सूचनार्थ समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
14. उपसंचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ रोड, राजनांदगांव (छ0ग0) की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किए जाने हेतु प्रेषित कर लेख है कि कृपया प्रकाशित राजपत्र की 50 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
15. गार्ड फाईल।

[Handwritten Signature]
उप सचिव
छत्तीसगढ शासन, श्रम विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग,
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

// अधिसूचना //

नया रायपुर, दिनांक 30.06.17

क्रमांक एफ 11-2/2011/16 :- छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) के अंतर्गत जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 11-2/2011/16, दिनांक 16.12.2011 को अतिक्रमित करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

अनुसूची

स. क्र.	कार्यालय/निकाय/अभिकरण का नाम	१९०ग० लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जाती है	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्रमायुक्त कार्यालय	1. छत्तीसगढ़ औद्योगिक संघ अधिनियम, 1980 के तहत समझौता, ठहराव अबाई का पंजीयन	30 कार्य दिवस	पंजीयक	श्रमायुक्त	सचिव
	श्रमायुक्त कार्यालय के अंतर्गत समस्त मैदानी कार्यालय	2. इंदिरा कृषि श्रमिक क्षतिपूर्ति दुर्घटना सहायता योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पर स्वीकृति का कार्य	45 कार्य दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	श्रमायुक्त
	श्रमायुक्त कार्यालय के अंतर्गत समस्त मैदानी कार्यालय	3. ठेका श्रमिक (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत पंजीयन/पंजीयन में संशोधन, अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्ति में संशोधन, अनुज्ञप्ति का नवकरण करना	15 कार्य दिवस	सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी	उप श्रमायुक्त	श्रमायुक्त
	श्रमायुक्त कार्यालय के अंतर्गत समस्त मैदानी कार्यालय	4. अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 के अंतर्गत पंजीयन/पंजीयन में संशोधन, अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्ति में संशोधन, अनुज्ञप्ति का नवकरण करना	15 कार्य दिवस	सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी	उप श्रमायुक्त	श्रमायुक्त
	श्रमायुक्त कार्यालय के अंतर्गत समस्त मैदानी कार्यालय	5. मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 के अंतर्गत पंजीयन/पंजीयन का संशोधन करना	15 कार्य दिवस	सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी	उप श्रमायुक्त	श्रमायुक्त
	श्रमायुक्त कार्यालय के अंतर्गत समस्त मैदानी कार्यालय	6. बीड़ी सिगार कर्मकार (नियोजन का शर्त) अधिनियम, 1966 के अंतर्गत पंजीयन/पंजीयन का संशोधन करना	15 कार्य दिवस	सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी	उप श्रमायुक्त	श्रमायुक्त

क्रमशः 2

श्रमायुक्त कार्यालय के अंतर्गत समस्त मैदानी कार्यालय	7. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्त) अधिनियम, 1998 के अंतर्गत पंजीयन/पंजीयन का संशोधन करना	15 कार्य दिवस	सहायक श्रमायुक्त/ श्रम पदाधिकारी	उप श्रमायुक्त	श्रमायुक्त
2. संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा तथा समस्त जिला कार्यालय	1. प्राणांतक दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर, घटना स्थल की जाँच	07 कार्य दिवस	सहायक संचालक	उप संचालक	संचालक
संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा तथा समस्त जिला कार्यालय	2. प्राणांतक दुर्घटना स्थल की जाँच कर प्रतिवेदन देने हेतु	07 कार्य दिवस	सहायक संचालक	उप संचालक	संचालक
संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा तथा समस्त जिला कार्यालय	3. गंभीर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर, घटना स्थल की जाँच	15 कार्य दिवस	सहायक संचालक	उप संचालक	संचालक
संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा तथा समस्त जिला कार्यालय	4. गंभीर दुर्घटना की स्थल की जाँच कर प्रतिवेदन देने हेतु	15 कार्य दिवस	सहायक संचालक	उप संचालक	संचालक
संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा तथा समस्त जिला कार्यालय	5. शिकायत की जाँच कर प्रतिवेदन देने हेतु	30 कार्य दिवस	सहायक संचालक	उप संचालक	संचालक
संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	6. नक्शा का अनुमोदन एवं निर्माण/विस्तार या किसी भवन को कारखाने के रूप में उपयोग करने हेतु अनुज्ञप्ति (20 या 20 से अधिक नियोजन के संदर्भ में)	15 कार्य दिवस	श्रमायुक्त/ मुख्य कारखाना निरीक्षक	सचिव	भारसाघक मंत्री
संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा तथा समस्त जिला कार्यालय	7. नक्शा का अनुमोदन एवं निर्माण/विस्तार या किसी भवन को कारखाने के रूप में उपयोग करने हेतु अनुज्ञप्ति (20 से कम नियोजन के संदर्भ में)	15 कार्य दिवस	उप संचालक/ सहायक संचालक	श्रमायुक्त/ मुख्य कारखाना निरीक्षक	सचिव
3 छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल	1. हितप्राप्तियों के पंजीयन	15 कार्य दिवस	श्रम निरीक्षक/ उप श्रम निरीक्षक	सहायक श्रमायुक्त/ श्रम पदाधिकारी/ जिन जिलों में श्रम विभाग के कार्यालय स्थापित न हो वहाँ पर जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी	सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल	2. मगिनी प्रसूति सहायता योजना	15 कार्य दिवस	सहायक श्रमायुक्त/ श्रम पदाधिकारी/ जिन जिलों में श्रम विभाग के कार्यालय स्थापित न हो वहाँ पर जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी	सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल	श्रमायुक्त/ मुख्य निरीक्षक, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अधिनियम, 1998

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल	3. राजमाता विजयाराजे सामूहिक विवाह योजना	15 कार्य दिवस	सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/जिन जिलों में श्रम विभाग के कार्यालय स्थापित न हो वहाँ पर जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी	सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल	श्रमायुक्त/मुख्य निरीक्षक, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम, 1996
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल	4. विश्वकर्मा मृत्यु पर अत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना	15 कार्य दिवस	सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/जिन जिलों में श्रम विभाग के कार्यालय स्थापित न हो वहाँ पर जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी	सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल	श्रमायुक्त/मुख्य निरीक्षक, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम, 1996
4 छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल	5. बालिका विवाह सहायता योजना	15 कार्य दिवस	कल्याण आयुक्त	संयुक्त सचिव/ उप सचिव	सचिव श्रम
छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल	6. मृत्यु सहायता योजना	07 कार्य दिवस	कल्याण आयुक्त	संयुक्त सचिव/ उप सचिव	सचिव श्रम
5. कर्मचारी राज्य बीमा सेवार्य	1. औषधालय स्तर पर परीक्षण एवं उपलब्ध औषधियों का प्रदाय	03 कार्य दिवस	औषधालय स्तर का प्रभारी अधिकारी	बीमा चिकित्सा पदाधिकारी प्रभारी केन्द्र	संचालनालय में पदस्थ वरिष्ठ बीमा चिकित्सा पदाधिकारी/उप संचालक/ संचालक
कर्मचारी राज्य बीमा सेवार्य	2. औषधालय स्तर पर बीमित व्यक्तियों के पुनर्भुगतान/अग्रिम के प्रकरणों का निराकरण	15 कार्य दिवस	औषधालय स्तर का प्रभारी बीमा चिकित्सा पदाधिकारी	बीमा चिकित्सा पदाधिकारी प्रभारी केन्द्र	संचालनालय में पदस्थ वरिष्ठ बीमा चिकित्सा पदाधिकारी/उप संचालक/ संचालक
कर्मचारी राज्य बीमा सेवार्य	3. संचालनालय स्तर पर बीमित व्यक्तियों के पुनर्भुगतान/अग्रिम के प्रकरणों का निराकरण	15 कार्य दिवस	संचालनालय में पदस्थ कार्यालय अधीक्षक/ वरिष्ठ बीमा चिकित्सा पदाधिकारी/उप संचालक	संचालनालय के वरिष्ठ बीमा चिकित्सा पदाधिकारी/ उप संचालक	संचालक
6. नगरीय विकास विभाग के अंतर्गत स्थानीय निकाय	छ0ग0 दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 की धारा 8 के अंतर्गत पंजीयन व प्रमाण पत्र जारी करना/नवीनीकरण करना, धारा 7 के अंतर्गत संशोधन करना तथा धारा 8 के अंतर्गत अपंजीकरण करना.	24 घंटे	स्थानीय निकाय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	संबंधित जिला के सहायक श्रमायुक्त/ श्रम अधिकारी	उप श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय

यह अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(याकुब खैरुल्लाह)
(याकुब खैरुल्लाह)

उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

पृष्ठांकन एफ 11-2/2011/16

नया रायपुर, दिनांक ३०.०६.१७

प्रतिलिपि :-

01. विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0)।
02. स्टाफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0)।
03. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, द्वितीय तल, खण्ड-03, नया रायपुर (छ0ग0)।
04. सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर (छ0ग0)।
05. कल्याण आयुक्त, छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल, प्रवीण भवन 31/520, न्यू शांति नगर, रायपुर (छ0ग0)।
06. प्रभारी अधिकारी, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल, नया रायपुर (छ0ग0)।
07. संचालक, संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें, नया रायपुर (छ0ग0)।
08. संचालक, संचालनालय, औ0स्वा0 एवं सुरक्षा, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0)।
09. समस्त कलेक्टर, जिला- (छ0ग0)।
10. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी कार्यालय (छ0ग0)।
11. समस्त उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय (छ0ग0)।
12. संचालक, जनसंपर्क विभाग, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर की ओर उपरोक्त अधिसूचना जन सामान्य के सूचनार्थ समाचार पत्रों में नि:शुल्क प्रकाशन हेतु।
13. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड़, राजनांदगांव (छ0ग0) की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किए जाने हेतु प्रेषित कर लेख है कि कृपया प्रकाशित राजपत्र की 50 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

14. गार्ड फाईल।

30/6/17
उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

छत्तीसगढ़ शासन

श्रम विभाग

दारु कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय

// अधिसूचना //

106

रायपुर दिनांक 16.12.2011

कमांक एफ 11-2/2011/16:-छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (कमांक 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

अनुसूची

स.क.	कार्यालय/ निकाय/ अभिकरण का नाम	छ0ग0 लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्रमायुक्त कार्यालय	1. छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 के तहत समझौता, ठहराव अवार्ड का पंजीयन	30 कार्य दिवस	पंजीयक	अपर आयुक्त	श्रमायुक्त
	श्रमायुक्त कार्यालय	2. इंदिरा कृषि श्रमिक क्षतिपूर्ति दुर्घटना सहायता योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पर स्वीकृति का कार्य	45 कार्य दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	श्रमायुक्त
2.	सचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	1. प्राणांतक दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर घटना स्थल की जाँच	07 कार्य दिवस	सहायक संचालक	उप संचालक	संचालक
	सचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	2. प्राणांतक दुर्घटना स्थल की जाँच कर प्रतिवेदन देने हेतु	07 कार्य दिवस	सहायक संचालक	उप संचालक	संचालक
	सचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	3. गंभीर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर घटना स्थल की जाँच	15 कार्य दिवस	सहायक संचालक	उप संचालक	संचालक
	सचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	4. गंभीर दुर्घटना स्थल की जाँच कर प्रतिवेदन देने हेतु	15 कार्य दिवस	सहायक संचालक	उप संचालक	संचालक
	सचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	5. शिकायत की जाँच कर प्रतिवेदन देने हेतु	90 कार्य दिवस	सहायक संचालक	उप संचालक	संचालक
3.	छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल	1. हितप्राप्तियों के पंजीयन	45 कार्य दिवस	श्रम निरीक्षक/उप श्रम निरीक्षक	सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/ जिन जिलों में श्रम विभाग के कार्यालय स्थापित न हो वहाँ पर जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी	सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल
	छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल	2. भगिनी प्रसूति सहायता योजना	30 कार्य दिवस	सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/ जिन जिलों में श्रम विभाग के कार्यालय स्थापित न हो वहाँ पर जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी	सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल	श्रमायुक्त/मुख्य निरीक्षक, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण नियम, 2008
	छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल	3. राजमाता विजयाराजे सामूहिक विवाह योजना	30 कार्य दिवस	सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/जिन जिलों में श्रम विभाग के कार्यालय स्थापित न हो वहाँ पर जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी	सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल	श्रमायुक्त/मुख्य निरीक्षक, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण नियम, 2008

167/2/

स.क	कार्यालय/ निकाय/ अभिकरण का नाम	छ0ग0 लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधि
1	2	3	4	5	6	7
	छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल	4. विश्वकर्मा मृत्यु पर अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना	30 कार्य दिवस	सहायक भ्रमायुक्त/भ्रम पदाधिकारी/ जिन जिलों में भ्रम विभाग के कार्यालय स्थापित न हो वहां पर जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी	सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल	भ्रमायुक्त/मुख्य निरीक्षक, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण नियम, 2008
4.	छत्तीसगढ़ भ्रम कल्याण मंडल	5. बालिका विवाह सहायता योजना	30 कार्य दिवस	कल्याण आयुक्त	संयुक्त सचिव/उप सचिव	सचिव भ्रम
	—	6. मृत्यु सहायता योजना	30 कार्य दिवस	कल्याण आयुक्त	संयुक्त सचिव/उप सचिव	सचिव भ्रम
5.	कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें	1. औषधालय स्तर पर परीक्षण एवं उपलब्ध औषधियों का प्रदाय	3 कार्य दिवस	औषधालय स्तर का प्रभारी अधिकारी	बीमा चिकित्सा पदाधिकारी प्रभारी केन्द्र	संचालनालय में पदस्थ वरिष्ठ बीमा चिकित्सा पदाधिकारी/उप संचालक/ संचालक
	कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें	2. औषधालय स्तर पर बीमित व्यक्तियों के पुनर्मुग्तान/ अग्रिम के प्रकरणों का निराकरण	30 कार्य दिवस	औषधालय स्तर का प्रभारी बीमा चिकित्सा पदाधिकारी	बीमा चिकित्सा पदाधिकारी प्रभारी केन्द्र	संचालनालय में पदस्थ वरिष्ठ बीमा चिकित्सा पदाधिकारी/उप संचालक/ संचालक
	कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें	3. संचालनालय स्तर पर बीमित व्यक्तियों के पुनर्मुग्तान/अग्रिम के प्रकरणों का निराकरण	30 कार्य दिवस	संचालनालय, में पदस्थ कार्यालय अधीक्षक/ वरिष्ठ बीमा चिकित्सा पदाधिकारी/उप संचालक	संचालनालय में वरिष्ठ बीमा चिकित्सा पदाधिकारी/उप संचालक	संचालक

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से,
तथा आदेशानुसार

(के0डी0 कुंजाम)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, भ्रम विभाग